प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.02.2025

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा 04 शातिर चोरो/ स्नैचर को चोरी की 04 मोटर साईकिलों व 01 स्कूटी व 8000/- रुपयों के साथ गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 16.02.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 04 शातिर चोर/ स्नैचर 1. आमिर पुत्र सैफुद्दीन निवासी ए 93 थर्ड फ्लोर रेल विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष 2. राहुल उर्फ भीम पुत्र किशनपाल निवासी 15 गांव ज्वाला हेडी पश्चिम विहार थाना पश्चिम विहार दिल्ली उम्र 27 वर्ष 3. फिरोज उर्फ फौजी पुत्र मईनुद्दीन निवासी गली न0 2 अल्वीनगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष 4. शारिक पुत्र इसरार निवासी ईदगाह के पास अल्वीनगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को चोरी की 02 मोटर साईकिलों के साथ बिजलीघर के पास डीएलएफ थाना अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त की निशादेही पर पास में खडी झाडियों से दिल्ली व यू0पी0 में अलग-अलग स्थानों से चोरी की गयी 02 अन्य मोटर साईकिलें व 01 स्कूटी बरामद की गई तथा अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा दो अन्य घटनाओं में छिने गये मोबाईल फोन को बेच कर प्राप्त कुल 8000/- रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर मु0अ0सं0 077/25 धारा 317(2) बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण उपरोक्त ने बताया कि साहब हम सभी मिलकर दिल्ली व यू0पी0 में अलग अगल स्थानों से मोटर साईकिलें व स्कूटी चुराते है तथा उन्ही चुराई गयी मोटर साईकिलों का प्रयोग कर आने जाने वाले लोगों से मोबाईल फोन भी छिन लेते है। चुराई गयी मोटर साईकिलो व मोबाईल फोनों को आते जाते लोगो को सस्ते दामों पर बेच देते है तथा जो मुनाफा होता है उसे आपस में बांट लेते है। ये मोटरसाइकिले भी हमने दिल्ली व यू0पी0 से अलग अलग जगहों से चोरी की थी, जिन्हे हमने बेचने के लिए अभी तक छिपाकर रखा हुआ था। आज हम इस दोनो मोटर साईकिलों को बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश में निकले थे, कि आपने हमें पकड लिया। इसके अलावा भी हमने 29.01.2025 को विजय विहार अण्डरपास से एक एप्पल का फोन छीना था जिसे हमने 10000/- रुपये में राह चलते लोगो को बेच दिया था तथा दिनांक 18.12.2024 को सीमेट रोड पर भडाना ग्रुप के पास से को रात के समय एक OnePlus Nore CE 3 Lite मोबाइल फोन छीना था जिसे हमने राह चलते अनजान व्यक्ति को 9000 /- रुपयों में बेच दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता –

1. आमिर पुत्र सैफुद्दीन निवासी ए 93 थर्ड फ्लोर रेल विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष
2. राहुल उर्फ भीम पुत्र किशनपाल निवासी 15 गांव ज्वाला हेडी पश्चिम विहार थाना पश्चिम विहार दिल्ली उम्र 27 वर्ष
3. फिरोज उर्फ फौजी पुत्र मईनुद्दीन निवासी गली न0 2 अल्वीनगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष
4. शारिक पुत्र इसरार निवासी ईदगाह के पास अल्वीनगर थाना अँकुर विहार गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण

1. 01 स्प्लैण्डर प्लस मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर DL1SAG7313 इंजन नम्बर HA11E7P4D39740 चैसिस नम्बर MBLHAW227P4D38132 सम्बन्धित e POLICE Staion MV Theft (crime branch delhi) FIR No. 004633
2. KTM 390 DUKE मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर चैसिस नम्बर MD2JPJXKOPC208962 व इंजन नम्बर P-938*11384* सम्बन्धित e POLICE Staion MV Theft (crime branch delhi) FIR No. 1076/24
3. पल्सर एन 250 मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर DL3SFU5914 चैसिस नम्बर MD2B97FX8RCD35947 इंजन नम्बर PDXCRD77562 सम्बन्धित e POLICE Staion MV Theft (crime branch delhi) FIR No. 004020
4. स्प्लैण्डर मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट चैसिस न0-MBLHA10BFE9M010 व इंजन न0- HA10ERE9M00944 सम्बन्धित e POLICE Staion MV Theft (crime branch delhi) FIR No. 001706 पंजीकृत

5. एक्टिवा स्कूटी रजिस्ट्रेसन नम्बर DL5SAW5326 चैसिस न0- ME4JF505EGT445630 व इंजन न0- JF50ET3445822 सम्बन्धित e POLICE Staion MV Theft (crime branch delhi) FIR No. 040096 Year 2024
6. कुल 8000/- रुपये बरामद सम्बन्धित मु0अ0सं0 36/25 धारा 304(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 459/24 धारा 304(2) बीएनएस थाना अंकुर विहार गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास

अभियुक्तगण आमिर व राहुल उर्फ भीम उपरोक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर छिनैती व बरामदगी के 03 अभियोग व चोरी के 17 अभियोग दिल्ली में पंजीकृत है। अभियुक्तगण उपरोक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
अभियुक्तगण फिरोज उर्फ फौजी व शारिक उपरोक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर छिनैती व बरामदगी के 03 अभियोग व चोरी के 05 अभियोग दिल्ली में पंजीकृत है। अभियुक्तगण उपरोक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा छिनैती की घटनाएं कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक मोबाईल फोन व कुल 16800 रुपये तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल बरामद।

दिनांक 04.02.25 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर 02 अज्ञात बाईक सवार द्वारा वादी के हाथ मे लटके बैग जिसके अन्दर रखे 45000/रु कैश व सोने का मंगल सूत्र व एक सोने की अंगुठी व चांदी की तगडी व चांदी की पाजेब पैरो की चुकटी थी को अचानक से झपट्टा मारकर भाग जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी ब्रॉर्डर पर तत्काल धारा 304 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 16.02.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर छिनैती की घटनाएं कारित करने वाला अभियुक्त नदीम पुत्र शमीम निवासी अन्सार मस्जिद, पूजा कालोनी, पावी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष को चौकी क्षेत्र लालबाग से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक मोबाईल फोन व कुल 16800 रुपये तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैने और मेरे साथी ने दिनांक 04.02.2025 को रात्रि मे समय करीब 9 से 10 बजे के बीच इसी मोटर साईकिल से इन्द्रापुरी मे बारात में एक व्यक्ति से एक बैग छीना था जिसमे से मेरे हिस्से मे 20000 रूपये आये थे औऱ बाकी बैग व इसके अन्दर का सामान व रूपये मेरे साथी ने ले लिये थे जिसने आज तक भी बाकी का हिसाब किताब नही किया है औऱ न ही मुझे मिल रहा है मेरे पास इतने ही रुपये बचे हैं बाकी रुपये मैने अपने शौक मौज में खर्च कर दिये तथा दिनांक 13.02.2025 को मैने अकेले ही शाम के समय बलराम नगर गेट से आगे दिल्ली सहारनपुर रोड पर एक आटो मे से एक व्यक्ति से अपनी इसी मोटरसाईकिल से यह मोबाईल फोन छीना था यह मोबाईल तभी से चल नही रहा था जिसे बेचने के लिये जा रहा था कि आपने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

नदीम पुत्र शमीम निवासी अन्सार मस्जिद, पूजा कालोनी, पावी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर लूट ,एनडीपीएस ,आर्म्स एक्ट , के कुल 6 अभियोग तथा थाना टीलामोड पर लूट , बरामदगी के 02 अभियोग तथा थाना नन्दग्राम पर गैंगस्टर एक्ट व लूट , बरामदगी के 02 अभियोग तथा थाना लोनी बॉर्डर पर छिनैती व बरामदगी के संबंध में 02 अभियोग पंजीकृत हैं, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

एक मोबाईल फोन व कुल 16800 रुपये तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 31.12.2024 को थाना भोजपुर पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दीपांशू द्वारा उनकी पुत्री को जबरन कमरे में खीचकर छेडखानी व मारपीट की गई है व दीपाशू तथा उसके ताउ के लडके के द्वारा साथ मिलकर पीडिता व पीडिता के परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर द्वारा धारा 74/75/351(2) बीएनएस व 7/8 पोक्सो अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में पीडिता के बयानो के आधार पर धारा 70(1) बीएनएस की वृद्धि की गई व स्कूल दस्तावेजो के अनुसार पीडिता बालिग पाई गई जिसके आधार पर धारा 7/8 पोक्सो अधि0 का लोप किया गया। आज दिनांक 16.02.2025 को उपरोक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त दीपांशू पुत्र सतीश निवासी ग्राम ईशाकनगर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को भोजपुर गेट से गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि पीडिता और मैं एक-दूसरे को पिछले 03 वर्ष से जानते हैं तथा एक-दूसरे से शादी करना भी करना चाहते थे। उसके घर वालो के विरोध करने पर एक दिन गुस्से मे आकर मैने अपने ताउ के लडके के साथ मिलकर यह घटना कारित कर दी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

दीपांशू पुत्र सतीश निवासी ग्राम ईशाकनगर थाना भोजपुर कमिश्रनेट गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

<u>आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-</u>

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम –</u>

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा गौकशी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 16.02.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र कलछीना से गौकशी के अभियोग में वांछित अभियुक्त मोहम्मद जावेद पुत्र मोहम्मद हारुन निवासी डी 74 दूजाना हाउस मटिया महल जामा मस्जिद नोर्थ दिल्ली उम्र 45 वर्ष को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के नीचे निडौरी अण्डरपास कलछीना से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसके पूर्व थाना भोजपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमे में 10 अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त मौहम्मद जावेद ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब (1) मुस्तफा उर्फ भुल्ली पुत्र स्व0 आशक (2) अफजाल पुत्र तौसीफ (3) नाजिम पुत्र अलीहसन (4) अब्दुल पुत्र अली हसन (5) रमजानी पुत्र तौसीफ नि0गण ग्राम कलछीना थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद मेरे साथी है, ये सभी आवारा घूम रहे गौवशं की गौकशी करते है व मैं इनके लिये गौवंश को एक जगह से दूसरी जगह इनके बताए स्थान पर लाने ले जाने का काम करता था व गौवंश को बेचने मे भी मदद करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

मौहम्मद जावेद पुत्र मोहम्मद हारुन नि0 डी 74 दूजाना हाउस मटिया महल जामा मस्जिद नोर्थ दिल्ली , उम्र 45 वर्ष।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

थाना भोजपुर पर अभियुक्त के विरुद्ध 02 गौकशी के अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना भोजपुर पुलिस टीम

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22.12.2024 को थाना मोदीनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की नाबालिक पुत्री को अभियुक्त सचिन उर्फ बल्लभ पुत्र ओमवीर निवासी जगतपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाना। जिस पर थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा तत्काल एफ.आई.आर दर्ज की गई तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 01.02.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा वादी की पुत्री को बरामद कर लिया गया तथा पीडिता के बयान व अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा बलात्संग तथा पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

दिनांक 15.02.2025 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सचिन उर्फ बल्लम पुत्र ओमवीर निवासी जगतपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद को अन्तर्गत धारा-137(2)/87/65(1) BNS व 3/4 पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – पूछताछ करने पर अभियुक्त सचिन उर्फ बल्लम उपरोक्त ने बताया कि मैं और पीडिता पिछले काफी समय से एक-दूसरे को जानते हैं, मैं उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

सचिन उर्फ बल्लम पुत्र ओमवीर निवासी जगतपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र-25 वर्ष

आपराधिक इतिहास –

अभियुक्त के विरूद्ध थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.02.2025 को थाना भोजपुर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि वादिया की पुत्री उम्र करीब 23 वर्ष को मोनू उर्फ मुजाहिद द्वारा बहला-फुसलाकर ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर द्वारा तत्काल धारा-87 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीडिता की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन कर पीडिता की तलाश की गई।

तत्पश्चात दिनांक 14.02.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा पीडिता को सकुशल बरामद किया गया तथा दिनांक 16.2.25 को पीडिता को अपने साथ बहला-फुसलाकर ले जाने वाले अभियुक्त मोनू उर्फ मुजाहिद पुत्र राशिद निवासी मोहल्ला खेडा कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को फरीदनगर गेट से गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं पीडिता को पिछले 03 वर्ष से जानता था, मैं उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोनू उर्फ मुजाहिद पुत्र राशिद नि0 मोहल्ला खेडा कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना भोजपुर पुलिस टीम।